न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 251 सन 2020 ऑन लाईन नम्बर:– 2020/00937
अनवान :–

1. विक्रम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. उदाराम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
3. साहबराम पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
4. गुडडी पुत्री उदाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
5. भादर पुत्र उदराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
6. शमशेर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
7. गायत्री पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
8. सुभाष पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
9. सुनीता पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
10. ममता पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
11. मुकेश पुत्र भादर जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
12. राकेश पुत्र भादर जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 263/626 की कुल 22.4220हैक एवं खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330हैक में से 8.7377हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रतीराम पुत्र आसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा रतीराम पुत्र आसाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा रतीराम पुत्र आसाराम ने वाद भूमि मे से व इसके अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है। उदाराम के वारिस तीन पुत्र एव एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसमें से पुत्र ओमप्रकाश के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 व पुत्र साहबराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 व भादर के वारिस प्रतिवादी संख्या 11 ,12 है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारिक सदस्य वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 है वाद भूमि में परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 8 का पिता प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 11 ,12 का पिता प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री व वादी की बहन है अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 8, 11 ,12 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,8

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 8 का पिता प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री प्रतिवादी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 11 ,12 का पिता प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री व वादी की बहन है अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 8, 11 ,12 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,8 ,11, 12 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 263/626 की कुल 22.4220हैक एवं खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330हैक में से 8.7377हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा रतीराम पुत्र देवाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा रतीराम पुत्र देवाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुख्या के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवाादी संख्या 2 ता 5 ,7 ,9,10 वादी के पिता/बहन/पुत्र है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1, 6, 8 ,11, 12 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,7 ,9 ,10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 8,11,12 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

,11, 12 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1, जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 6 ,8 ,11 ,12 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रतीराम पुत्र आसाराम के देहानत होने एवं उसके पिता रतीराम पुत्र आसाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का पिता है के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,7 जो वादी के पिता/बहन/पुत्र है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,8 ,11 ,12 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,8 ,11 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकवाल जवाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 263/626 की कुल 22.4220हैक एवं खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330हैक में से 8.7377हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा रतीराम पुत्र आसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा रतीराम पुत्र आसाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा रतीराम पुत्र आसाराम ने वाद भूमि मे से व इसके अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है। उदाराम के वारिस तीन पुत्र एव एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसमें से पुत्र ओमप्रकाश के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 व पुत्र साहबराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 व भादर के वारिस प्रतिवादी संख्या 11 ,12 है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारिक सदस्य वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 है वाद भूमि में परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

होने के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,7 ,9, 10 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयुटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 8.7377हैक भूमि दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 की 8.12 वीधा अर्थात 2.1758हैक वहिव तथा प्रतिवादी संख्या 8 की 8.12 वीधा अर्थात 2.1758है एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 वहिव सयुक्त तौर से 8.12 वीधा अर्थात 2. 1758हैक तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पास 2.2103हैक भूमि रहेगी तथा रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 263/626 की कुल 22.4220हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 7.5763हैक भूमि दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी संख्या 6 सयुक्त तौर से वहिव 7.11 वीधा अर्थात 1. 91015हैक व प्रतिवादी संख्या 8 ,की 7.11 वीधा अर्थात 1.91015हैक प्रतिवादीसंख्या 11 ,12 सयुक्त तौर से वहिव 7.11 वीधा अर्थात 1.91015हैक तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1.8455हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. विक्रमकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 उदाराम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
3. साहबराम पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
4. गुडडी पुत्री उदाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
5. भादरराम पुत्र उदराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
6. शमशेरसिह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
7. गायत्री पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
8. सुभाषचन्द्र पुत्र साहबराम देहडु जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
9. सुनीता पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
10. ममता पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
11. मुकेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
12. राकेशकुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 251 सन 2020 निर्णय दिनांक–19|10|2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 264/627 की कुल 27.7330हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 8.7377हैक भूमि दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 की 8.12 बीधा अर्थात 2.1758हैक बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 8 की 8.12 बीधा अर्थात 2.1758है एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 बहिब सयुक्त तौर से 8.12 बीधा अर्थात 2.1758हैक तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पास 2.2103हैक भूमि रहेगी तथा रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 263/626 की कुल 22.4220हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 7.5763हैक भूमि दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी संख्या 6 सयुक्त तौर से बहिब 7.11 बीधा अर्थात 1.91015हैक व प्रतिवादी संख्या 8 ,की 7.11 बीधा अर्थात 1.91015हैक प्रतिवादीसंख्या 11 ,12 सयुक्त तौर से बहिब 7.11 बीधा अर्थात 1.91015हैक तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1.84585हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19|10|2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner